

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

कम स०
विकय मूल्य रु० 400+50 वैट कुल रु० 450/-

ओ०एम०आर०शीट मुद्रण / आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

कम स०	कार्य का विवरण	मात्रा	प्रस्तावित दर
01	ओ०एम०आर०शीट आकार 36x21 सेमी० 100 जी०एस०एम०, 110 जी०एस०एम०, 120 जी०एस०एम० पार्चमेन्ट पेपर पर दोनो ओर मुद्रण दो स्थानो पर नम्बरिंग एवं एक रेखा में परफोरेशन। ओ०एम०आर०शीट scartron Clarity 280i ओ०एम०आर०स्कैनर के साथ कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए।	1,50,000	प्रति हजार

संलग्नक-


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


निविदा दाता के हस्ताक्षर
एवं फर्म की मोहर
दिनांक

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

निविदा की शर्तें

1. निविदाये निर्धारित प्रपत्र पर सील बंद लिफाफे में दिनांक 04.11.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कुलसचिव बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के कक्ष में स्वीकार की जायेगी। एवं उसी दिन अपरान्ह 04 बजे खोली जायेगी।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रु0 3,000/- (रु0 तीन हजार) का बैंक ड्रापट जो वित्त अधिकारी बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के पक्ष में देय होगा संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा दरो पर विचार नही किया जायेगा।
3. निविदा में उल्लिखित विवरण /दरों में किसी प्रकार की कंटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नही होगी। ऐसी निविदायें निरस्त मानी जायेगी।
4. निविदा के साथ प्रस्तावित कागज का नमूना संलग्न करना अनिवार्य है। नमूने के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. निविदा के साथ बिक्री कर पंजीयन संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना आवश्यक है। फर्म द्वारा पूर्व में इस कार्य को किये जाने का विवरण भी उल्लेख किया जाय।
6. आयकर स्थायी खाता की संख्या का उल्लेख किया जाये जिससे यह ज्ञात हो सके कि फर्म आयकर विभाग में पंजीकृत है।
7. श्रम विभाग की पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाय जिससे फर्म की वास्तविक श्रमिक संख्या तथा स्थायित्व की जानकारी प्राप्त हो सके।
8. बिक्रीकर अथवा अन्य प्रकार का कर आदि यदि देय हो तो इसे भी दरों के साथ सम्मिलित कर लिया जाय। पृथक से की गयी ऐसी किसी मांग पर विचार नही किया जायेगा।
9. कार्य आदेश निर्गत होने की तिथि से समस्त सामग्री की आपूर्ति 10 दिनों के अन्दर करनी होगी। समयान्तर्गत आपूर्ति न होने की दशा में देयक से रु0 1000/- (रु0 एक हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।
10. समस्त सामग्री की आपूर्ति विश्वविद्यालय कार्यालय में स्वीकार की जायेगी।
11. विश्वविद्यालय को एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।


कुलसचिव


26/10/09